



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## 04 अवैध शस्त्र व 05 कारतूस सहित चार अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में वृहद चेकिंग अभियान चलाये जाने एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना थानगांव, पिसावां, रामकोट व खैराबाद की पुलिस टीमों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान कुल 04 अभियुक्तों को 04 अवैध शस्त्र, 05 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

1. थाना थानगांव द्वारा 01 अवैध तमंचे व 01 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुशीर पुत्र नईम नि० बजरंगढ थाना थानगांव सीतापुर के कब्जे से 01 अदद अवैध शस्त्र, 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 205/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
2. थाना पिसावां द्वारा 01 अवैध तमंचे, 02 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना पिसावां पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पप्पू पुत्र राजबक्श नि० ढरकुंआ थाना पिसावां को 01 तमंचा व 2 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 211/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
3. थाना खैराबाद द्वारा 01 अवैध तमंचे, कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ठकुरी पासी पुत्र पुंदी पासी नि० अनीसपुर मजरा सोहेतारा थाना खैराबाद सीतापुर को 01 तमंचा व 01 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 257/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
4. थाना रामकोट द्वारा 01 अवैध तमंचे, 01 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना पिसावां पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान विवेक राजवंशी पुत्र मायाराम नि० इलिसियाग्रंट थाना रामकोट को 01 तमंचा व 1 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 249/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

